**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1196**
**दिनांक 09.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विदेशों में भारतीय छात्र**

1196.**श्री जयदेव गल्लाः**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत चार वर्षों के दौरान आगे की पढ़ाई के लिए आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य–वार कुल कितने छात्र विदेश गए हैं;

(ख) विगत चार वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य–वार कुल कितने भारतीय छात्रों को विदेशों से निर्वासित कर भारत वापस भेजा गया है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और आस्ट्रेलिया सहित विदेशों से छात्रों के निर्वासन के मुद्दे पर कोई शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;और

(घ) क्या सरकार की विदेशों में छात्रों की देखभाल, कल्याण और सहायता प्रदान करने की कोई योजना/पहल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

**उत्तर**
**विदेश राज्य मंत्री**
**(श्री वी. मुरलीधरन)**

(क) आप्रवासन ब्यूरो द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों के दौरान विदेश जाते समय अध्ययन/शिक्षा को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताने वाले भारतीय नागरिकों की कुल संख्या इस प्रकार है:

| वर्ष | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (अक्टूबर 2023 तक) |
|---|---|---|---|---|
| व्यक्तियों की संख्या | 259655 | 444559 | 750365 | 765411 |

(ख) और (ग) मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले चार वर्षों में अमेरिका और कनाडा में पढ़ाई कर रहे 610 छात्रों को भारत निर्वासित किया गया है। भारतीय छात्रों के निर्वासन के कारणों में ट्यूशन फीस का भुगतान न करना, ट्यूशन फीस के भुगतान का प्रमाण दिखाने में असमर्थता, आवास की उपलब्धता के बारे में दस्तावेज न होना और फर्जी प्रवेश पत्र जमा करना शामिल है।

(घ) विदेशों में भारतीय छात्रों का कल्याण भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। विदेश में भारतीय मिशन/केंद्र विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए नामांकित छात्रों के लिए स्वागत समारोह आयोजित करते हैं, उन्हें मिशन/ केंद्र के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विदेशों में जहां भी भारतीय छात्र

विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं, मिशन उनके साथ नियमित संपर्क में रहते हैं। मिशन/ केंद्र प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी भारतीय छात्रों और छात्र संघों के साथ नियमित बातचीत के लिए विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करते हैं। विदेशों में भारतीय मिशन/ केंद्र भारतीय छात्रों के सामने आने वाले किसी भी मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हैं। शिकायतों का उत्तर कॉल, वॉक–इन, ई–मेल, सोशल मीडिया, 24x7 हेल्पलाइन, ओपन हाउस और मदद पोर्टल जैसे विभिन्न माध्यमों से दिया जाता है। विदेश में छात्रों से प्राप्त किसी भी शिकायत को अपेक्षित कार्रवाई के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों और मेजबान सरकार, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उठाया जाता है। हमारे मिशन और केंद्र सतर्क रहते हैं और छात्रों की भलाई के बारे में गहनता से नजर रखते हैं। यदि कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसे तुरंत मेजबान देश के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना की उचित जांच हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। आपातकालीन या संकट की स्थितियों के दौरान, विदेशों में हमारे मिशन/केंद्र भारतीय सामुदायिक कल्याण निधि का उपयोग करके भोजन, आश्रय, दवा और भारत वापसी की सुविधा प्रदान करके संकटग्रस्त/फंसे हुए भारतीय छात्रों को सक्रिय रूप से मदद करते हैं। हाल ही में, वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय जैसे विभिन्न अभियानों के तहत दुनिया भर के देशों से भारतीय छात्रों को वापस लाया गया।

*****